

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : एफ 2-4/2018/55-2

भोपाल, दिनांक 13/03/2018

प्रति,

आयुक्त,
कोष एवं लेखा,
पर्यावास भवन, भोपाल।

विषय :- चिकित्सा शिक्षा विभाग, की नवीन कालेजों की योजना क्रमांक 9080-63-001 में पुर्नविनियोजन राशि रु. 552.15 लाख एवं राशि रु. 29.16 करोड़ की अग्रिम आहरण की छूट प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ :- 1- म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीप क. 880/योवि/2/2018 दि. 26.2.2018
2- म.प्र. शासन वित्त विभाग का पत्र क. 1184/587/2017/ब-1/चार दि. 29.12.17

विषयान्तर्गत राज्य शासन एतद द्वारा मांग संख्या-52 चिकित्सा शिक्षा विभाग के नवीन मेडिकल कॉलेज, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, दतिया, खण्डवा, विदिशा को प्रारंभ करने के लिए अति आवश्यक मशीन संयंत्र एवं कार्यालय उपकरणों का क्रय भारत शासन के संस्थान एचएचएल एन्फाटेक सर्विसेस से करने हेतु राशि रु. 29.16 करोड़ (संलग्न परिशिष्ट अनुसार) को अग्रिम आहरण कर भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ योजना क्रमांक 9080-63-001 में राशि रु. 552.15 लाख के पुर्नविनियोजन की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 151/आर/234/बजट-6/18 दिनांक 07.03.2018 तथा 09.03.2018 द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसारण मे जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक : एफ 2-4/2018/55-2

भोपाल, दिनांक 13/03/2018

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, दतिया, खण्डवा, विदिशा की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, दतिया, खण्डवा, विदिशा की ओर अग्रिम आहरण तथा भुगतान करने हेतु पालनार्थ।
7. सयुक्त संचालक, (वित्त), मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

052 चिकित्सा शिक्षा विभाग
5302- संचालक चिकित्सा शिक्षा

आधिकारी (कोड तथा नाम)
वित्त विभाग की सहमति क्रमांक एवं दिनांक

राशि ₹ लाख में

बजट अनुमान जिसमें वृद्धि चाही है							बजट अनुमान जिसमें कम करना है						
मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान अनुपूरक एवं पुर्नविनियोजन को शामिल करते हुए	वित्तीय वर्ष के माह 26.02.2018 तक वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में संभावित व्यय	बजट की कुल आवश्यकता	अतिरिक्त धनराशि जो विनियोजन हेतु आवश्यक है	आधिक्य के कारण	मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान अनुपूरक एवं पुर्नविनियोजन को शामिल करते हुए	वित्तीय वर्ष के माह 26.02.2018 तक वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में संभावित व्यय	बजट की कुल आवश्यकता	अतिरिक्त धनराशि जो विनियोजन हेतु आवश्यक है	बचत के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52-4210-03-105-88 88-9080-रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालय 63-001	2500.00	135.76	2916.39	3052.15	552.15	बजट में कमी परिलक्षित होने के कारण	52-4210-03-10 5-2052-ट्रामा यूनिट-8888-63 -001-मशीनी एवं संयंत्र	1000.00	0.00	619.31	619.31	380.69	बजट में बचत परिलक्षित होने के कारण
							52-4210-03-10 5-2052-ट्रामा यूनिट-8888-64 -001-निर्माण	200.00	28.54	0.00	28.54	171.46	
योग					552.15							552.15	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुर्नविनियोजन प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आता है और इसमें राज्य शासन द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संयुक्त संचालक, (वित्त)
चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

052 चिकित्सा शिक्षा विभाग
5302- संचालक चिकित्सा शिक्षा

(कोड तथा नाम)
विभाग की सहमति क्रमांक एवं दिनांक

राशि ₹ लाख में

बजट अनुमान जिसमें वृद्धि चाही है							बजट अनुमान जिसमें कम करना है						
मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष एवं विस्तृत बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान अनुपूरक एवं पुनर्विनियोजन को शामिल करते हुए	वित्तीय वर्ष के माह 26.02.2018 तक वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में संभावित व्यय	बजट की कुल आवश्यकता	अतिरिक्त धनराशि जो विनियोजन हेतु आवश्यक है	आधिक्य के कारण	मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष एवं विस्तृत बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान अनुपूरक एवं पुनर्विनियोजन को शामिल करते हुए	वित्तीय वर्ष के माह 26.02.2018 तक वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में संभावित व्यय	बजट की कुल आवश्यकता	अतिरिक्त धनराशि जो विनियोजन हेतु आवश्यक है	बचत के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52-4210-03-105-88 88-9080-रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालय 63-001	2500.00	135.76	2916.39	3052.15	552.15	बजट में कमी परिलक्षित होने के कारण	52-4210-03-105-2052-ट्रामा यूनिट-8888-63-001-मशरूनी एवं संयंत्र	1000.00	0.00	619.31	619.31	380.69	बजट में बचत परिलक्षित होने के कारण
							52-4210-03-105-2052-ट्रामा यूनिट-8888-64-001-निर्माण	200.00	28.54	0.00	28.54	171.46	
योग					552.15							552.15	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोजन प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आता है और इसमें राज्य शासन द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संयुक्त संचालक, (वित्त)
चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

स.क्र.	मेडिकल कालेज	डीडीओ कोड	एलओपी 1 उपकरण की राशि	फर्नीचर, तथा कार्यालय एवं हास्पीटल उपकरण	वित्त विभाग के अनुसार कुल अग्रिम आहरण की सीमा
1	2	3	4	5	6
1	चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल	3705302001	24588000	12890000	37478000
2	चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी	3905302001	24588000	12900000	37488000
3	चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा	4505302001	33935000	15000000	48935000
4	चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा	2105302002	24588000	15000000	39588000
5	चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम	3105302001	33935000	15000000	48935000
6	चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा	7058302001	24588000	15000000	39588000
7	चिकित्सा महाविद्यालय दतिया	0905302002	24588000	15000000	39588000
		योग	190810000	100790000	291600000

संयुक्त संचालक (वित्त)
चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश